न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 230 सन 2018

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरस्वती पुत्री रावताराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा

वादी

बनाम

1. मैनादेवी पत्नि प्रहलाद जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 7/8/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 4/4 में 0.173हैक मैनादेवी प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम तथा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 6/7 में 1/24 हिस्सा भूमि मैनादेवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में रावताराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद उसकी पत्नि भूरीदेवी के नाम से दर्ज हुई जिसके फोत होने पर उसकी पुत्री सुरस्वती प्रहलाद एवं जैसाराम के नाम से दर्ज हुई भूरीदेवी व रावताराम के दो पुत्र व एक पुत्री थी जैसाराम जो अविवाहित लावल्द फोत हो गया तथा प्रहलाद भी फोत हो चुका है इसके कोई सन्तान नही है प्रहलाद की मृत्यू के बाद उसकी पत्नि मैनादेवी ने अन्यत्र करेबा कर लिया सुरस्वती का भी देहान्त हो गया उसका पुत्र ओमप्रकाश वाद भूमि का अकेला वारिस है जो वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है

राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 जो पहले प्रहलाद की पत्नि थी जिसने प्रहलाद के देहान्त होने पर अन्य करेवा कर लिया था प्रतिवादीया का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही था किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मैनादेवी के नाम भूमि दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता ह वादी मैनादेवी के नाम से दर्ज भूमि से मैनादेवी का नाम कलमजंन करवाकर वादी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मं दर्ज करवाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया उसने अन्यत्र शादी कर ली है वाद भूमि जो प्रहलाद पूर्व पति के देहान्त होने के बाद उसके नाम दर्ज हो गई थी प्रहलाद की सम्पति में प्रतिवादीया संख्या 1 का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रतिवादीया संख्या 1 ने अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया ।एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 4/4 में 0.173हैक मैनादेवी प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम तथा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 6/7 में 1/24 हिस्सा भूमि मैनादेवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में रावताराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद उसकी पत्नि भूरीदेवी के नाम सें दर्ज हुई जिसके फोत होने पर उसकी पुत्री सुरस्वती प्रहलाद एवं जैसाराम के नाम से दर्ज हुई भूरीदेवी व रावताराम के दो पुत्र व एक पुत्री थी जैसाराम जो अविवाहित लावल्द फोत हो गया तथा प्रहलाद भी फोत हो चुका है इसके कोई सन्तान नही है प्रहलाद की मृत्यू के बाद उसकी पत्नि मैनादेवी ने अन्यत्र करेबा कर लिया सुरस्वती का भी देहान्त हो गया उसका पुत्र ओमप्रकाश वाद भूमि का अकेला वारिस है जो वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवाादीया ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 4/4 में 0.173हैक मैनादेवी प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम तथा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 6/7 में 1/24 हिस्सा भूमि मैनादेवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि उक्त भूमि पूर्व में रावताराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद उसकी पत्नि भूरीदेवी के नाम से दर्ज हुई जिसके फोत होने पर उसकी पुत्री सुरस्वती प्रहलाद एवं जैसाराम के नाम से दर्ज हुई भूरीदेवी व रावताराम के दो पुत्र व एक पुत्री थी जैसाराम जो अविवाहित लावल्द फोत हो गया तथा प्रहलाद भी फोत हो चुका है इसके कोई सन्तान नही है प्रहलाद की मृत्यू के बाद उसकी पत्नि मैनादेवी ने अन्यत्र करेबा कर लिया सुरस्वती का भी देहान्त हो गया उसका पुत्र ओमप्रकाश वाद भूमि का अकेला वारिस है जो वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादीया संख्या 1 मैनादेवी ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अन्यत्र करेवा कर लिया है प्रहलाद की सम्पति में उसका कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 4/4 में 0.173हैक मैनादेवी प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम तथा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 6/7 में 1/24 हिस्सा भूमि मैनादेवी के नााम से राजस्व रिकार्ड में सें दर्ज है में मैनादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 7/8/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र सुरस्वती पुत्री रावताराम जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल पोहडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा

वादी

बनाम

2. मैनादेवी पत्नि प्रहलाद जाति जाट साकिन गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 230 सन 2019 निर्णय दिनांक– 7/8/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 4/4 में 0.173हैक मैनादेवी प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम तथा चक 1 आरएमएस के खाता संख्या 6/7 में 1/24 हिस्सा भूमि मैनादेवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में सें दर्ज है में मैनादेवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 7/8/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते